कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2487 / FP/UK/ROAD/13390/2015 :देहरादून:दिनांकः 18 अप्रैल, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ से दडक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/102/2018/एफ0सी0/2502 दिनांक 07–02–2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 5 हे0 ग्राम–रिगांलगढ सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 16,85,920.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 5 हे0 ग्राम–रिगांलगढ सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है, जिसके अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। (संलग्नक–1)
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में मुख्य वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1832/12–1 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम–रिगांलगढ की सिविल सोयम भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का आलेख तैयार कर सचिव (प्रभारी), वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन को को प्रेषित किया गया है। प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–2)
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 20,58,615.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की गई है।
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में यदि बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–3)
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 37,44,535.00 जमा करने की ऑनलाईन चालान की रसीद की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–4)
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन के क्रम में कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 108 वृक्ष है।
7. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा प्रमाणित District Profile की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–5)

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन अधिनियम–1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि</u>

भवदीय,

18/4/22

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या–2487 / FP/UK/ROAD/13390/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1833/12–1 दिनांक 11.04.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/4/22

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी